न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/0840

श्री मुकेश भार्गव अभि०
द्वारा आज दि. 1-2-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 20-2-18 नियत।

क्लार्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
01-2-2018 एडवोकेट
ग्वालियर

रामपाल शुक्ला पुत्र हरिहरराम शुक्ला
निवासी ग्राम गजरही तहसील बहरी
जिला सीधी (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, सीधी

.... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा श्रंखला न्यायालय सीधी जिला–सीधी (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 350/अपील/17–18 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/दो/सीधी/भूरा/2018/840 **रामपाल बनाम शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-06-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित हुए। अनावेदन शासन की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष सारस्वत उपस्थित। उभय पक्ष् के प्रकरण में अंतिम तर्क सुने गये। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। आवेदक का मुख्य तर्क है कि उनके द्वारा भूमि व्यपवर्तन की अनुज्ञा का आवेदन दिनांक 4-1-17 को प्रस्तुत किया था जबकि ललितपुर सिंगरौली लाईन के अंतर्गत आवेदित भूमियों के धारा 11 के प्रकाशन का प्रस्ताव दिनांक 3-12-16 को आधार मानकर भूमि व्यपवर्तन का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी है उनके द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि भूमियों के अधिग्रहण किया जाने के संबंध में मात्र प्रस्ताव ही जारी हुआ था जिसकी सूचना आवेदक को नहीं थी अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। अनावेदक शासन के अधीवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान समय में ललितपुर सिंगरौली न्यू रेलवेलाईन में प्रभावित भूमि का उपयोग होने की अधिसूचना के प्रकाशन का प्रस्ताव दिनांक 3-12-16 को प्राप्त हो चुका था रेलवे लाईन निर्माण का कार्य लोकहित में होने से अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भूमि व्यपवर्तन का आदेश दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होने से निगरानी निरस्ती योग्य है। उक्त प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में मैं पाता हूं कि रेलवेलाईन के अधिसूचना के प्रकाशन का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत भूमि व्यपवर्तन का आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। नोटिफिकेशन के प्रकाशन में भूमि जिस स्वरूप की दर्ज है उसे उसी स्वरूप में लिया जा सकता है, उसके उपरांत भूमि के स्वरूप को व्यपवतित किया जाना निरर्थक है, अतः प्रस्तुत निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है। उभय पक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस किये जावें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हों। सदस्य 4/6/18	